ग्राम पंचायत परछोड़, विकास खण्ड भटियात, तहसील चुबाडी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1. **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत परछोड , विकास खण्ड भटियात , जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार	23-01-2011 से 22-01-16
2.	श्रीमति सरिता देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री महासू राम	07-10-2011 से 21-11-2014
2.	श्रीमति वृन्दा देवी	22-11-2014 से 21-09-2015
3.	श्री सुनील कुमार	22-09-2015 से 20-03-2016
4.	श्री महासू राम	21-03-2016 से 28-07-2017

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.56
2.	9	अनुदान राशियों का अवरोधन।	14.59
3 .	10	प्राकलन व माप पुस्तिका को प्रस्तुत न करना।	विवरणानुसार

4	11	अनुचित रूप से विक्रयकर का भुगतान	0.04
5.	12	बिल वाउचर प्रस्तुत न करना	0.35
6.	16	विश्राम गृह पर निरर्थक व्यय	9.64
7.	17	स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	7.76

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत परछोड़, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-10-2017 से 02-11-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय परछोड़ में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 03/15, 03/16 ,व 10/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07/14,02/16 व 02/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत परछोड़ , विकास खण्ड भटियात , जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:247 दिनांक 02-11-17 द्वारा सचिव,पंचायत परछोड़ से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत परछोड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत परछोड़ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	**योग**	व्यय	**अन्तिम शेष**
2014-15	186456	42608	**229064**	42872	**186192**
2015-16	186192	29670	**215862**	31331	**184531**
2016-17	184531	15933	**200464**	47646	**152818**

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत परछोड़ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	1248631	1145978	**2394609**	1696024	**698585**
2015-16	698585	2833284	**3531869**	3069508	**462361**
2016-17	462361	6599673	**7062034**	5602904	**1459130**

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	**बैंक का नाम**	**खाता सं**	**राशि**
1.	HGB LAHRU	99360100000963	139576
2.	----do------	99360100000981	0
3 .	-----do------	99360100000990	182298
4.	------do------	99360100000972	1014
5.	------do-----	99360100000522	1052249
6.	HPSCBANK chowari	18010105553	236811
7.	------do-----	18010105539	0
		Total	**1611948**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1611948

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹ 1611948

5 योजना/ प्रोग्राम अनुसार अनुदानों का अलग-अलग बैंक खाता न खोलने बारे :-

अतिरिक्त सचिव (पंचायती राज) के पत्र सं : PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15-02-12 के अनुसार प्रत्येक योजना/प्रोग्राम के लिए अलग-अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित था परन्तु जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है जोकि उचित नहीं था जिसके कारण प्रत्येक योजना/प्रोग्राम की सही वित्तीय स्थिति दर्शाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अत: स्कीम अनुसार बैंक खातों को न खोलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक योजना अनुसार बैंक खाता खोलना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.56 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹56325 की वसूली शेष थी। इस राशि को शीघ्र अति शीघ्र वसूल कर स्व स्त्रोत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(क) गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	1000	12000	13000	4175	8825
2015-16	8825	12875	21700	1800	19900
2016-17	19900	13125	33025	0	33025

(ख)मोबाइल टावर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	10000	7400	17400	4900	12500
2015-16	12500	7400	19900	4000	15900
2016-17	15900	7400	23300	0	23300

8 रसीदों को प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान आय के चयनित माह से सम्बन्धित रसीद बुकों को अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वसूली गई आय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत:रसीदों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 अनुदान ₹14.59 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्धारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1459130** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव ,ग्राम पंचायत परछोड़ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की

जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा करवाए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं 248 दिनांक 02-11-17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से वास्तविकता से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

11 विक्रय कर ₹0.04 लाख का अनियमित भुगतान

वा.सं 45 माह 07/14 रोकड़ बही पृष्ठ 94 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹33579 का भुगतान मै०आरव इम्पोर्टेड टिम्बर डिपो चोवाड़ी को लकड़ी की खरीद हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित कुटेशनो की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में **₹4059** विक्रय कर अलग से वसूल किया गया। जोकि अनुचित था। उक्त विक्रय-कर को उत्तरदायी से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

12 ₹0.35 लाख के बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार ₹35100 के बिल वाउचर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ही जिसके आभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त बिल/वाउचर को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उत्तरदायी से उक्त राशि को वसूल कर उक्त निधि में जमा किया जाए व की गई पूर्ण कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा.सं, माह	राशि	निधि का नाम	रोकड़ बही पृष्ट सं
26, 07/14	6000	सामान्य निधि	92
80, 02/17	12000	यथोपरि	11
81,02/17	10000	यथोपरि	11
82,02/17	6000	यथोपरि	11
83,02/17	1100	यथोपरि	11
जोड़	**35100**		

13 मजदूर द्वारा एक ही अवधि को दो अलग-अलग निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाने के फलस्वरूप ₹384 दोहरा भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि मस्ट्रोलों में मजदूर द्वारा एक ही अवधि में अलग-अलग निर्माण कार्यो में हाजिरी लगाई गई है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

(क)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	माह	रोकड़ बही पृष्ट	कुल भुगतान
62	नि०नाली व पक्का रास्ता नरोला से घटासनी	1-12-15 से 31-12-15 मस्टररोल न० 25524	02/16	132	67496
63	नि०नाली व पक्का रास्ता नडल	1-12-15 से 31-12-15 मस्टररोल न० 25523	02/16	132	27384

क्रम सं	मजदूर का नाम व पता	अवधि	दिन	दिहाड़ी की दर	कुल दोहरा भुगतान
1.	श्री मगर सिंह बरला	14-12-15 व 15-12-15	2 दिन	192	384

उपरोक्त विवरण के आधार पर जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों में उक्त मजदूर दो बार भुगतान करके कुल ₹384 अधिक भुगतान किया गया है। अत: उत्तरदायी से ₹384 को वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

14 बिल/वाउचरों को पारित न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने के दौरान निम्न विवरणानुसार बिल/वाउचरों को प्रधान द्वारा पारित नहीं किया गया जिसके अभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए निम्न बिल/वाउचरों को पारित करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वा सं , माह	निधि का नाम	राशि	रोकड़ बही पृष्ट सं	विवरण
22 , 02/17	BRGF	40000	4	10बॉक्स PVC शीट
23, 02/17	यथोपरि	30900	4	
24, 02/17	यथोपरि	40000	4	10बॉक्स PVC शीट
25, 02/17	यथोपरि	7100	4	फेविकोल
27, 02/17	यथोपरि	3200	4	बिजली का सामान
28, 02/17	यथोपरि	2000	4	100
29, 02/17	यथोपरि	8700	5	पर्दे
30, 02/17	यथोपरि	2934	5	सीमेंट
01, 02/17	14 वित्त	32600	1	सीमेंट
02, 02/17	यथोपरि	8000	1	रेत

03, 02/17	यथोपरि	32600	1	सीमेंट
04, 02/17	यथोपरि	8000	1	रेत
05, 02/17	यथोपरि	2600	1	सीमेंट
06, 02/17	यथोपरि	8000	1	रेत

15 पंचायत के विश्राम गृह पर ₹9.64 लाख का निरर्थक व्यय:-

अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत के विश्राम गृह का निर्माण कार्य जोकि 2008-09 से किया जा रहा है व इस विश्राम ग्रह पर अभी तक कुल ₹963940 व्यय की जा चुकी है व वा.सं.01 माह 11/15 के अनुसार इस विश्रामगृह हेतु ₹63700 का फर्नीचर भी ख़रीदा गया है है तथा विश्राम गृह के लिए पूर्ण सामान का क्रय भी किया गया है ,परन्तु पंचायत द्वारा विश्राम गृह का संचालन अभी तक नहीं किया जा रहा है जबकि कार्य को किए हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके है जिससे लाखों रूपए की लागत से निर्मित विश्राम गृह तथा उनके द्वारा ख़रीदे गए सामान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अत: सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विश्राम गृहों को कार्यन्वयन हेतु उचित पग उठाये जाएँ ताकि पंचायत को किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

16 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.26 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचर सं 3 माह 08/14 की जाँच करने पर पाया कि ₹26500 की निर्माण सामग्री मनरेगा निधि से खरीदी गई परन्तु स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत परछोड़ को अवगत करवाया गया। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 क्रय की गई ₹7.76 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3**

पर दिए गए विवरणानुसार **₹776168** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत परछोड़ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार प्राप्ति व उपयोग लेखा तैयार कर अंकेक्षण की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

18 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत परछोड़ को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

21 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

22 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)18/2018 खण्ड–1–2884–2887 दिनांक 26.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत परछोड़, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881